



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24345

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4330/2026

इंद्रवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ललित कुमार गोंड

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, हांडिया जिला प्रयागराज को वाद संख्या 2646/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202502030402646 (इंद्रवीर सिंह बनाम राजेंद्र सिंह)) का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।
3. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में किसी भी असाधारण परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि निचली अदालत को उपरोक्त मामले का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इसके कि मुकदमा वर्ष 2025 में दायर किया गया है।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, निचली अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले का निपटारा कानून के अनुसार सख्ती से करे और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन न दे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निपटारा किया गया।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"